अपील संख्या 164/2018 धारा 225 आर.टी.ए. अनवान जगतारसिंह बनाम बलविन्दरसिंह आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
07.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के आदेश दिनांक 08.10.2018 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए चक 26 पी.टी.पी. के मु.नं. 64 के कि.नं. 5, 6, 15, 16, 25 में जो रास्ता चालू है, उसे चालू रखा जाकर परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने तथा खातेदार के खाते में ही गै.मु. दर्ज करने के आदेश दिये। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है जबकि रेस्पों. को अपनी भूमि में आने-जाने हेतु पहले से ही रास्ता उपलब्ध है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जावे, जबकि विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने कथन किया कि अधी. न्यायालय ने चालू रास्ता को परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी. न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पों. के प्रा.पत्र पर चालू रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश दिया है जो कि प्रथम दृष्टया राज. भू-राजस्व अधि. के तहत भू अभिलेख अधिकारी के	

रूप में कार्य करने की श्रेणी में आता है। यहां यह पूर्णतया सुस्पष्ट है कि भू अभिलेख अधिकारी के रूप में दिये गये आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस विवेचन के अनुसार इस न्यायालय के विनम्र मत में ऐसे आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कानूनी प्रावधान हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को हो। अतः अपील अपीलांट उक्तानुसार खारिज की जाती है। अपीलांट सक्षम न्यायालय में दाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। निर्गित पत्रावली नम्बर से कम होकर अभिलेखागार में जमा हो।